

Sant Kabir Academy

जूनियर रिसर्च फेलोशिप

परिचय

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) की जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) योजना उन उम्मीदवारों के लिए खुली है, जो UGC की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (NET) और UGC-वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) की संयुक्त परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं। हालाँकि, कृपया ध्यान दें कि ये केवल पात्रता परीक्षाएँ हैं और ये उम्मीदवार को सीधे फेलोशिप प्रदान नहीं करती हैं।

उद्देश्य

JRF योजना का उद्देश्य NET-योग्य उम्मीदवारों को उन्नत अध्ययन और अनुसंधान करने के अवसर प्रदान करना है, जिससे वे मानविकी और सामाजिक विज्ञान (भाषाओं सहित) तथा विज्ञान के क्षेत्रों में M.Phil/Ph.D. की उपाधियाँ प्राप्त कर सकें।

लक्षित समूह/पात्रता

लक्षित समूह: वे उम्मीदवार जो NET या UGC-CSIR संयुक्त परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए हैं।

जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए विस्तृत और आवश्यक योग्यता मापदंड निम्नवत् है :-

- ❖ **शैक्षिक योग्यता**—जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए सामान्य पात्रता में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबन्धित विषय में मास्टर डिग्री (कम से कम 55 प्रतिशत अंको के साथ) उत्तीर्ण होना चाहिए।
- ❖ **न्यूनतम अंक**: मास्टर डिग्री में सामान्य/अनारक्षित वर्ग के लिए कम से कम 55 प्रतिशत एवं आरक्षित श्रेणियों (ओ0बी0सी0, एस0सी0, एस0टी0, पीडब्ल्यूडी) के लिए कम से कम 50 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य होना आवश्यक है।
- ❖ **आयु सीमा**: सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष निर्धारित है, आरक्षित वर्ग (ओ0बी0सी0, एस0सी0, एस0टी0, पीडब्ल्यूडी) और महिलाओं को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी।
- ❖ **उम्मीदवार भारतीय नागरिक होना आवश्यक है।**
- ❖ **अवधि एवं पात्रता** : यह फेलोशिप अधिकतम 02 वर्ष के लिए दी जायेगी, फेलोशिप के दौरान शोधार्थी को कम से कम 60 दिवस तक संत कबीर अकादमी या संत कबीर से सम्बन्धित किसी अन्य संस्थान में रहकर कार्य करना होगा।
- ❖ **अवकाश एवं अन्य लाभ** : जूनियर रिसर्च फेलोशिप प्राप्त करने वाले शोधार्थी नियमानुसार आकस्मिक अवकाश हेतु पात्र होंगे।
- ❖ **महिला शोधार्थियों के लिए** भारत सरकार के नियमों के अनुसार मातृत्व अवकाश प्रदान किया जायेगा।
- ❖ **नियमित रिपोर्टिंग**: शोधार्थियों को प्रति वर्ष अपने काम की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट अकादमी को जमा करनी होगी।

योजना के अंतर्गत उपलब्ध सहायता का स्वरूप:-

JRF योजना के अंतर्गत फेलोशिप की अवधि शुरू में दो वर्ष की होती है। इस अवधि की समाप्ति पर, फेलो के कार्य का मूल्यांकन विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा। यदि अनुसंधान कार्य संतोषजनक पाया जाता है, तो उसकी/उसका अवधि को सीनियर रिसर्च फेलोशिप (SRF) के बढ़े हुए मानदेय के अंतर्गत, तीन और वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाएगा।

यदि पहले दो वर्षों का कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो उसे सुधार के लिए एक अतिरिक्त वर्ष दिया जाएगा। हालाँकि, इस अवधि के दौरान उसे जूनियर रिसर्च फेलो के रूप में ही नामित किया जाएगा। ऐसे मामलों में, तीन वर्षों के बाद कार्य का मूल्यांकन फिर से किया जाएगा, और यदि सुधार पाया जाता है, तो फेलो को SRF के अंतर्गत दो और वर्ष मिलेंगे। इस प्रकार, फेलोशिप की कुल अवधि (JRF और SRF मिलाकर) पाँच वर्ष है, जिसमें आगे विस्तार का कोई प्रावधान नहीं है।

फेलोशिप

@ Rs.12,000/- प्रति माह, शुरुआती दो सालों के लिए JRF

@ Rs.14,000/- प्रति माह, बाकी बचे समय के लिए SRF

आकस्मिक खर्च

A.@ Rs.10,000/- प्रति वर्ष, शुरुआती दो सालों के लिए

@ Rs.20,500/- प्रति वर्ष, बाकी बचे समय के लिए

आकस्मिक खर्च

B.@ Rs.12,000/- प्रति वर्ष, शुरुआती दो सालों के लिए विज्ञान

@ Rs.25,000/- प्रति वर्ष, बाकी बचे समय के लिए

अवकाश: JRFs सार्वजनिक अवकाशों के अतिरिक्त, वर्ष में अधिकतम 30 दिनों के अवकाश के हकदार होते हैं। वे किसी अन्य प्रकार के अवकाश (वेकेशन) के हकदार नहीं होते हैं। महिला उम्मीदवार अपने अवार्ड की अवधि के दौरान एक बार 180 दिनों की मैटरनिटी लीव (मातृत्व अवकाश) की हकदार हैं, जिसमें उन्हें फेलोशिप की पूरी दरें मिलेंगी। इसके अलावा, महिला उम्मीदवार को अधिकतम 2 साल का 'इंटरमिटेंट ब्रेक' (बीच-बीच में अवकाश) भी दिया जा सकता है। इस 'फ्लेक्सी टाइम' अवधि को फेलोशिप की कुल अवधि में नहीं गिना जाएगा, और इस तरह, फेलोशिप की कुल अवधि प्रभावी रूप से उतनी ही रहेगी।

सीनियर फेलोशिप

वरिष्ठ फेलोशिप उन वरिष्ठ भारतीय शोधकर्ताओं को प्रदान की जाती है जिन्होंने परियोजनाओं/प्रकाशनों के माध्यम से सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है जिनमें प्रतिष्ठित प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित पुस्तकें और उच्च प्रभाव कारक वाले विशेषज्ञता-प्राप्त पत्रिकाओं में शोध पत्र शामिल हैं। वरिष्ठ फेलो द्वारा किए गए अध्ययनों से विभिन्न क्षेत्रों में वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों के लिए साक्ष्य-आधारित समाधान प्रदान करके राष्ट्र के विकास में योगदान करने की क्षमता होने की उम्मीद है।

पात्रता

विद्वान भारतीय नागरिक होना चाहिए तथा आवेदन की अंतिम तिथि के अनुसार उसकी उम्र 45 वर्ष से कम और 70 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

विद्वान के पास पी.एच.डी. की डिग्री होनी चाहिए और Sant Kabir Academy की सम्मति में, आवेदन करते समय उसके पास सामाजिक विज्ञान या संबद्ध विषयों में शोध करने के लिए आवश्यक योग्यता होनी चाहिए, साथ ही उसके पास प्रतिष्ठित प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित पुस्तकें और/या उच्च प्रभाव कारक वाले विशेषज्ञता-प्राप्त पत्रिकाओं में शोध पत्र सहित उत्कृष्ट शोध प्रकाशन होने चाहिए।

फेलो को यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/मानद विश्वविद्यालयों, एम.ओ.ई./यूजीसी द्वारा परिभाषित राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों और अनुसंधान संस्थानों से संबद्ध होना चाहिए। निधियों का वितरण संबद्ध/प्रशासित संस्थान के माध्यम से किया जाता है।

सार्वजनिक वित्तपोषित विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों और शोध संस्थानों में नियमित सेवा करने वाले संकायों को यूजीसी वेतनमान प्राप्त हो रहा है, जिन्हें अपवादात्मक रूप से योग्य मामलों में वेतन संरक्षण प्रदान करने के लिए विचार किया जा सकता है, जिसका निर्णय Sant Kabir Academy की विशेषज्ञ समितियों द्वारा किया जाएगा। Sant Kabir Academy की विशेषज्ञ समितियां फेलोशिप प्रस्ताव को परियोजना प्रस्ताव में परिवर्तित करने का अधिकार भी सुरक्षित रखती हैं।

Sant Kabir Academy की पोस्ट-डॉक्टरल फेलोशिप/शोध परियोजना/कार्यक्रम की अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने और वरिष्ठ फेलोशिप के लिए आवेदन करने के बीच न्यूनतम 02 वर्ष का अंतराल अनिवार्य है।

एक फेलो, एक ही फेलोशिप के लिए एक से अधिक बार पात्र नहीं है।

अवधि और वित्तीय सहायता

- वरिष्ठ फेलोशिप एक पूर्णकालिक शोध कार्य है।
- फेलोशिप की अवधि दो वर्ष होगी तथा इसे आगे बढ़ाने पर विचार नहीं किया जाएगा।
- फेलो, नियमों के अनुसार वेतन संरक्षण के अंतर्गत वेतन तथा भत्ते एवं आकस्मिक अनुदान पाने के हकदार है।

महत्वपूर्ण बिंदु

प्रस्ताव की स्वीकृति

विद्वान को अधिनिर्णय पत्र (अवार्ड लेटर) की तारीख से एक महीने के भीतर संबद्ध संस्थान के माध्यम से सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करके फेलोशिप में शामिल होना होगा। इसे Sant Kabir Academy द्वारा अपवादात्मक परिस्थितियों में आगे बढ़ाया जा सकता है।

किस्त का विवरण

- प्रथम वर्ष की फेलोशिप और आकस्मिक-निधि तीन तीन माह बाद किस्तों में जारी की जाएगी। पहली किस्त अनुदान-सहायता-बिल (जीआईबी) प्राप्त होने के पश्चात और दूसरी किस्त खाते के विवरण के साथ निर्धारित प्रारूप में संतोषजनक छमाही प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद जारी की जाएगी।
- दूसरे वर्ष की फेलोशिप और आकस्मिक अनुदान-राशि तीन किस्तों में जारी की जाएगी। फेलोशिप की छह महीने की पहली किस्त अनुदान सहायता बिल (जीआईबी) प्राप्त होने पर जारी की जाएगी। फेलोशिप की 03 महीने की दूसरी किस्त खाते के विवरण के साथ निर्धारित प्रारूप में अगले छह महीनों की संतोषजनक प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने पर जारी की जाएगी। आकस्मिक-निधि के साथ फेलोशिप की शेष अवधि की अंतिम किस्त अंतिम रिपोर्ट प्राप्त करने और Sant Kabir Academy द्वारा इसकी स्वीकृति और संबद्ध संस्थान के सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित फेलोशिप की पूर्ण स्वीकृत राशि के जीएफआर-12ए फॉर्म में उपयोगिता प्रमाण-पत्र के साथ खातों का विवरण प्राप्त करने के बाद जारी की जाएगी। तथापि, गैर-सार्वजनिक वित्त पोषित संस्थान के मामले में, फेलोशिप की अंतिम किस्त जीएफआर-12ए फॉर्म में उपयोगिता प्रमाण-पत्र के साथ खातों का लेखा-परीक्षित विवरण प्राप्त होने और Sant Kabir Academy द्वारा दस्तावेजों के सत्यापन के बाद जारी की जाएगी।

प्रगति निगरानी

- फेलोशिप की नियमित निगरानी, विद्वान द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत की गई अर्धवार्षिक और वार्षिक प्रगति रिपोर्ट के आधार पर, की जाती है। प्रगति रिपोर्ट में देरी होने की स्थिति में, विद्वान से देरी का औचित्य बताने के लिए कहा जा सकता है जिस पर अंतिम निर्णय Sant Kabir Academy द्वारा लिया जाएगा। विद्वान से Sant Kabir Academy को अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तिथि निर्दिष्ट करने वाला घोषणा प्रस्तुत करने के लिए कहा जा सकता है।
- Sant Kabir Academy. द्वारा शोध कार्य की वार्षिक प्रस्तुति/मध्यावधि मूल्यांकन के लिए कहा जा सकता है।

शोध परिणाम

- फेलोशिप के दौरान, फेलो को अपने शोध के विषय से संबंधित विशेषज्ञता-प्राप्त पत्रिकाओं या संपादित पुस्तकों में कम से कम दो शोध पत्र प्रकाशित करने होंगे।
- अंतिम रिपोर्ट की पांडुलिपि (मेनुस्क्रिप्ट) का कॉपीराइट Sant Kabir Academy के पास रहेगा। Sant Kabir Academy अपने द्वारा वित्तपोषित फेलोशिप रिपोर्ट को प्रकाशित करने के सभी अधिकार सुरक्षित रखता है, बशर्ते कि कार्य को विशेषज्ञ/विशेषज्ञों द्वारा प्रकाशन हेतु अनुशंसित किया गया हो। Sant Kabir Academy से अनुमति प्राप्त होने के बाद ही विद्वान इसे स्वयं प्रकाशित करवा सकते हैं।
- फेलोशिप के शोध परिणाम से तैयार सभी प्रकाशनों में विद्वान को भा.सा.वि.अ.प. के सहयोग के लिए अभिस्वीकृति ज्ञापित करना होगा।
- फेलोशिप प्राप्त शोधार्थियों को संत कबीर अकादमी, मगहर में कम से कम 60 दिवस निवास करना होगा।

स्वीकृति के उपरांत अनुरोध

- फेलोशिप की अवधि के दौरान, फेलो को टीए/डीए, अवकाश/छुट्टी और आकस्मिक अनुदान राशि आदि सहित सभी मामलों में संबद्ध संस्थान के नियमों द्वारा शासित किया जाएगा। हालांकि, फेलोशिप की अवधि और राशि चौबीस महीने से अधिक नहीं होगी।
- Sant Kabir Academy से कोई भी फेलोशिप स्वीकार करते समय, किसी फेलो को किसी अन्य संस्थान से कोई अन्य फेलोशिप या शोध परियोजना या नियमित कार्य स्वीकार नहीं करना चाहिए।
- विद्वान पर उनके कैरियर/शोध कैरियर में किसी भी अनुशासनात्मक/कानूनी कार्रवाई/कार्यवाही/वित्तीय दंड का मामला नहीं होना चाहिए।
- फेलोशिप प्राप्त शोधार्थियों को प्रति 03-03 माह में अपने कार्य की रिपोर्ट निदेशक संत कबीर अकादमी को प्रस्तुत करनी अनिवार्य होगी।
- शोध समिति से रिपोर्ट का अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त मानदेय देय होगा।
- उक्त फेलोशिप यू0जी0सी0 के नियमानुसार प्रदान की जायेगी।
- शोध समिति/अध्यक्ष, संत कबीर अकादमी का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
- आवेदन पत्र का प्रारूप अकादमी की वेबसाइट <https://santkabiracademy.ac.in> पर उपलब्ध है।
- फेलोशिप के दौरान शोधार्थी को कम से कम 60 दिवस तक संत कबीर अकादमी या संत कबीर से सम्बन्धित किसी अन्य संस्थान में रहकर कार्य करना होगा।

निर्धारित प्रारूप पर भरे आवेदन पत्र विज्ञापन जारी होने की दिनांक से दिनांक 10 अगस्त, 2026 तक निदेशक, संत कबीर अकादमी, मगहर में ऑफ़िशल अथवा ईमेल आई डी0-kabiracademi@gmail.com पर ही स्वीकार किये जायेंगे अन्य किसी भी माध्यम से प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।

- निर्धारित तिथि के अन्दर प्राप्त सभी आवेदन/संस्तुति पर विचार एवं उन आवेदन/संस्तुति में सुयोग्य/सुपात्र का सम्मान हेतु चयन अकादमी द्वारा निर्धारित चयन समिति द्वारा किया जायेगा।



ANNEXURE-I

SANT KABIR ACADEMY
MAGHAR,
SANT KABIR NAGAR
JOINING REPORT
AWARD OF JUNIOR RESEARCH FELLOWSHIP

Name of Awardee:

National Eligibility Test Date (Attested Copy to be enclosed):

This is to certify thathas joined the Department offor doing ...M.Phil/Ph.D.....under the above scheme of the University Grants Commission with effect from(F.N./A.N.). He/She will be Provided with all necessary facilities during his/her tenure of award. The terms and conditions of the offer are acceptable to the awardee. His/her date of registration to the M.Phil/Ph.D. isfor already registered candidate.

Also certified that the Fellow shall not accept/hold any emoluments, paid or otherwise, or receive emoluments, salary, stipend etc. ,from any other source during the tenure of the award.

Signature of Awardee Contact No.: e-mail : Bank A/c No. IFSC Code	Supervisor (Seal)	Head of Director Department (Seal) (Seal)
---	-------------------	---

MICR Code:

12-digit unique (aadhaar) number, if you have:



ANNEXURE-II

SANT KABIR ACADEMY
MAGHAR,
SANT KABIR NAGAR
SA-I SECTION
CONTINUATION CERTIFICATE
JRF

This is to certify that-----
----- has continuously working in the Department-----
----- in the subject
under the above scheme for the quarter from-----
-- to -----

Signature

Date Name of the

Signature

Date Head of
the Deptt.

Signature

Date

Registrar/ Awardee
Director/Principal

